हिमाचल प्रदेश सरकार
पंचायती राज विभाग।

संख्याः पीसीएच–एचए(1)2/2019– विभाजन/पुर्नगठनः – 70409–414 19 Nov,2020

अधिसूचना

इस विभाग की अधिसूचना संख्या पीसीएच–एचए(1)2/2019-विभाजन/पुर्नगठन–68231–234 दिनांक 30.10.2020 के अन्तर्गत जिला शिमला की ग्राम सभा नेरी के क्षेत्र को विभाजित, पुर्नगठित और नए ग्राम सभा क्षेत्रों को गठित करने तथा ग्राम सभा क्षेत्रों की स्थापना हे प्रस्तावना द्वारा सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों से आक्षेप एवं सुझाव आमन्त्रित किए गए थे तथा उपायुक शिमला को इस सम्बन्धत में आक्षेप/सुझाव प्राप्त करने और उन पर विचार करने के उपरान्त अन्ति सिफारिश प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया गया था;

उपरोक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त आक्षेपों एंव सुझावों पर उपायुक्त जिल शिमला की सिफारिशों के दृष्टिगत, इस विभाग द्वारा जिला शिमला की ग्राम सभा नेरी के क्षेत्रों के विभाजन पुर्नगठन और नई ग्राम सभा क्षेत्रों की स्थापना से सम्बन्धित पूर्व में जारी अधिसूचनाओं के आंशिक संशोधन मे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 3 के उप–धाराओं (1) व (2) द्वारा प्रदत शक्तियों के अधीन, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, जिला शिमला के निम्न अनुसूची में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्रों को विभाजित, पुर्नगठित कर उनके लिए, उपरोक्त अधिनियम की धारा की उप–धारा (1) के प्रयोजन हेतु निम्न प्रकार से ग्राम सभा क्षेत्रों की स्थापना का सहर्ष आदेश प्रदान करत है।

राज्यपाल हिमाचल प्रदेश, उपरोक्त अधिनियम की धारा 3 की उप धारा (2–क) तथा धार (3–क) के अधीन प्रदत शक्तियों के अन्तर्गत यह आदेश भी प्रदान करते है कि इस अधिसूचना के अन्तर्गत ग्राम सभा क्षेत्रों का विभाजन और पुर्नगठन विद्यमान पंचायतों के निर्वाचित पदाधिकारियों की पदावधि क प्रभावित नहीं करेगा।

क0 सं0	वर्तमान ग्राम सभा का नाम	कोष्ठ संख्या 2 में वर्णित ग्राम सभा के ग्रामों के नाम	नई ग्राम सभा तथा उसके मुख्यालय का नाम	कोष्ठ संख्या 4 में वर्णित ग्राम सभा में सम्मिलित होने बाले ग्रामों के नाम	कोष्ठ संख्या 3 में शेष बचे ग्रामों के नाम जो वर्तमान ग्राम सभा में ही रहेंगें	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7
	विकास खण्ड मशोबरा					
	1 नेरी	1 सनोग	सांगटी–सन्होग	1 सांगटी	1 सनोग	
		2 चैवला		2 सन्होग उपरला	2 चैवला	
		3 बियूंट		3 क्यालू	3 बियूंट	
		4 करयाला		4 मानला	4 करयाला	
		5 नियुन			5 नियुन	
		6 भाको			6 भाको	
		7 नेरी			7 नेरी	
		8 लैडी			8 लैडी	

		9 बटोल			9 बटोल	
		10 मानला			10 भूंग	
		11 भूंग			11 चम्मों	
		12 चम्मों			12 कढोग	
		13 कढोग				
		14 सांगटी				
		15 सन्होग उपरला				
		16 क्यालू				

आदेश द्वारा
सचिव (पचांयती राज)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृ० संख्याः उपरोक्त– 70409–70414 दिनांक 19, Nov, 2020

प्रतिलिपियां सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतुः

1. उपायुक्त शिमला, जिला शिमला हिमाचल प्रदेश ।
2. सचिव, राज्य निर्वाचन अधिकारी, हिमाचल प्रदेश, शिमला–2.
3. जिला पचांयत अधिकारी शिमल जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।
4. समस्त सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी, जिला शिमला, हिमाचलप प्रदेश।
5. सम्बन्धित प्रधान/सचिव ग्राम पचांयत, विकास खण्ड मशोबरा, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश को 2 अतिरिक्त प्रतियों सहित।

अतिरिक्त निदेशक,
पंचायती राज विभाग,
हिमाचल प्रदेश शिमला–9.